

फर्द अहकाम

शंकरलाल वगैरह बनाम

राज0सरकार

केस संख्या 40/2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा (जयपुर)
प्रा0पत्र पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22.6.2021	<p>प्रार्थीगण की ओर से यह पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री मंगलचन्द यादव के द्वारा पेश किया गया । रिपोर्ट सरिस्ता ली गई । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय बहस में सुना गया ।</p> <p>वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1567 रकबा 0.32 है0 वाके ग्रम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा में प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जिसका प्रार्थीगणों के द्वारा दिनांक 16.6.2021 का पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा प्रार्थीगणों के पडोसी खातेदारों के द्वारा सीवडोल काट काट कर अपनी भूमि में मिलाते रहते है तथा झगडा फिसाद करने पर आमादा रहने के कारण उक्त प्रार्थीगण की भूमि का पत्थरगढी करवाना चाहते है वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि यदि प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी होने से आये दिन झगडा फसाद सीव डोल काट की समस्या से निजात मिल जायेगी। अन्त में वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौके पर कानून व्यवस्था भंग होने का भी अन्देशा है अतः उक्त आराजी का पुलिस सहायता से पत्थरगढी करने का निवेदन किया ताकि मौके पर शान्ति व्यवस्था भंग नहीं हो तथा प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी हो सकें ।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 1567 रकबा 0.32 है0 वाके ग्रम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा का दिनांक 16.6.2021 को पटवारी हल्का के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है । वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस से हम सहमत है तथा प्रकरण में पडोसी खातेदारान के द्वारा शांति भंग होने का अंदेशा होना भी जाहिर होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर उप तहसीलदार मनोहरपुर को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 1567 रकबा 0.32 है0 वाके ग्रम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा नियमानुसार आसपास के खातेदारान की मौजूदगी में पत्थरगढी करवाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे। पत्थरगढी के समय शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना मनोहरपुर उप तहसीलदार मनोहरपुर को आवश्यक पुलिस जाप्ता उपलब्ध करवावे । तदानुसार उप तहसीलदार मनोहरपुर व थानाधिकारी पुलिस थाना मनोहरपुर को आदेश जारी हो । निर्णय आज दिनांक 22.6.21 को सुनाया गया । पत्रावली फंसल सुमार होकर दाखिल दफतर हों ।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान